भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1416**

दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

# भूखंडों संबंधी डेटा

1416. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जिन भूखंडों का मानचित्रण किया गया है, उन पर स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार कितने विवाद-संभावित जनजातीय क्षेत्रों का मानचित्रण किया गया है; और

(ग) पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत वर्तमान में सम्मिलित न किए गए अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

क) पंचायती राज मंत्रालय गाँव की संपत्ति के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयास से नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादीभूखंड का सीमांकन करना है। इस योजना के कई उद्देश्य जैसे संपत्ति कार्ड पर बैंक ऋण प्राप्त करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना और व्यापक ग्राम स्तर की योजना बनाना है। 24 जुलाई 2025 तक, 3.26 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, 1.73 लाख गाँवों के लिए 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल

और लद्दाख में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। हरियाणा, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, गोवा, त्रिपुरा, दादरा नगर हवेली दमन, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में यह योजना पूरी हो चुकी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

ख) स्वामित्व के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य अधिनियमों और नियमों के आधार पर ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड निर्माण के लिए गांवों की पहचान करते हैं, जहां आबादी या बसे हुए क्षेत्र मौजूद हैं औरजिनमें जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, यह योजना विशेष रूप से विवाद-संभावित जनजातीय क्षेत्रों के लिए राज्य-वार, ज़िला-वार या वर्ष-वार अलग से डेटाबेस नहीं रखती है। इस प्रकार, स्वामित्व योजना के तहत राज्य और ज़िला-वार, और वर्ष-वार, मानचित्रित विवाद-संभावित जनजातीय क्षेत्रों की संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं रखा जाता है।

ग) 24 जुलाई 2025 तक, 31 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वामित्व योजना (अनुलग्नक-I) के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए राज्य शामिल हैं,जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। हालाँकि, तेलंगाना ने केवल 5 गाँवों का पायलट सर्वेक्षण किया है और स्वामित्व योजना का विस्तार नहीं किया है और झारखंड में यह योजना स्थगित है।

****

**अनुलग्नक 1**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1416 जिसका उत्तर 29.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

**स्वामित्व योजना की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार स्थिति**

| **राज्य/केंद्र शासित प्रदेश** | **लक्षित गांव** | **ड्रोन उड़ान पूर्ण गांव** | **संपत्ति कार्ड तैयार (गांव)** | **तैयार संपत्ति कार्डों की संख्या** |
|---|---|---|---|---|
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 80 | 80 | 75 | 4397 |
| गोवा | 410 | 410 | 410 | 672646 |
| हरियाणा | 6260 | 6260 | 6260 | 2515646 |
| पुडुचेरी | 96 | 96 | 92 | 2801 |
| उत्तराखंड | 7441 | 7441 | 7441 | 278229 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 186 | 186 | 141 | 7409 |
| आंध्र प्रदेश | 13321 | 13321 | 0 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 5596 | 3630 | 0 | 0 |
| असम | 1074 | 946 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 15791 | 15791 | 1867 | 123491 |
| दिल्ली | 31 | 31 | 0 | 0 |
| गुजरात | 15052 | 14199 | 8882 | 1453879 |
| हिमाचल प्रदेश | 15196 | 13920 | 364 | 5419 |
| जम्मू और कश्मीर | 4429 | 4402 | 1294 | 43910 |
| झारखंड | 757 | 240 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 30757 | 23338 | 4125 | 1027094 |
| केरल | 597 | 597 | 0 | 0 |
| लद्दाख | 232 | 232 | 225 | 18788 |
| लक्षद्वीप द्वीप समूह | 10 | 10 | 10 | 13563 |
| मध्य प्रदेश | 43014 | 43014 | 37931 | 4610793 |
| महाराष्ट्र | 37819 | 37609 | 19858 | 3193881 |
| मणिपुर | 2555 | 209 | 0 | 0 |
| मिज़ोरम | 550 | 433 | 27 | 2909 |
| ओडिशा | 3054 | 2724 | 43 | 1716 |
| पंजाब | 12083 | 10461 | 178 | 24089 |
| राजस्थान | 36300 | 35929 | 14779 | 1248332 |
| सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 3 | 3 | 0 | 0 |
| तेलंगाना | 5 | 5 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 898 | 19 | 893 | 571783 |
| उत्तर प्रदेश | 90573 | 90573 | 68377 | 10486961 |
| **कुल** | 344171 | 326110 | 173272 | 26307736 |

***